[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 7 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

सं0 74 /2017-सीमा शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (12) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 50/2017- सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का. नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम सं0 88 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
‘‘88 क	1701	कच्ची चीनी के कुल आयात के सकल तीन लाख मीट्रिक टन तक। बशर्ते कि आयातकर्ता द्वारा कच्ची चीनी का आयात भौतिक रूप में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा टैरिफ रेट कोटा एलोकेशन सर्टिफिकेट या लाइसेंस जारी की जाने की तारीख से साठ (60) दिन के भीतर पूरी हो जाती हो। बशर्ते कि आयातकर्ता कच्ची चीनी का सफेद / परिशोधित चीनी में परिशोधन, बिल आफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड की तारीख, जो भी बाद में हो के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर करता है।	25 %	-	7 और 9’’.

[फा.सं.354/78/2009-टीआरयू(भाग)]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 71/2017-सीमा शुल्क, तारीख 11 अगस्त, 2017 सा.का.नि. 1012(अ), तारीख 11 अगस्त, 2017 द्वारा किया गया था ।